



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2()परावि/प्रशा.1/वि.अ/संस्था/APO/स्थाना-पद/2018/पार्ट-3/492 जयपुर, दिनांक:- 19/3/2020

आदेश

श्री गौतम राम चौधरी, हाल विकास अधिकारी पंचायत समिति बावडी जिला जोधपुर को तत्काल प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय पंचायती राज विभाग किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति अविलम्ब मुख्यालय पर प्रस्तुत करें अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(गौरव चतुर्वेदी)

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपंरा, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त मनरेगा, राजस्थान जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त जोधपुर।
7. जिला कलक्टर, जोधपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर।
9. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर।
10. विकास अधिकारी पंचायत समिति बावडी जिला जोधपुर।
11. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
12. ए.सी.पी मुख्यालय को आदेश की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
13. आदेश पत्रावली।

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)